उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–37/2016

देव नारायण साव बनाम् तुलसी बेदिया एवं राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
19/03/2021	–:: आदेश ::– अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–57/2007–08/44/2015–16 तुलसी बेदिया बनाम् देव नारायण साव में दिनांक–16.07.2016 को प्रश्नगत भूमि मौजा–कोराम्बे, थाना–गोला, वर्त्तमान थाना–बरलंगा, थाना नं०–49 के अन्तर्गत, खाता नं0–68, प्लॉट सं0–1785, कुल रकबा–0.45 एकड़ भूमि से सम्बन्धित भू–वापसी हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4)(a) के तहत् पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी देव नारायण साव, पिता–डोमन साव, ग्राम–कोराम्बे, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ द्वारा अपील आवेदन दायर किया गया है। **अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता** का कहना है कि मौजा–कोराम्बे, थाना–गोला, वर्त्तमान थाना–बरलंगा, थाना नं०–49 के अन्तर्गत, खाता नं0–68, प्लॉट सं0–1785, कुल रकबा–0.45 एकड़ भूमि वर्ष–1943 ई० से केवाला के माध्यम से अपीलार्थी के पिता डोमन साव को प्राप्त है तथा प्राप्ति की तिथि से दखलकार चले आ रहे है। इनका यह भी कहना है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4)(a) के तहत् भू–वापसी की कार्रवाई पोषणीय नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन कालबाधित है। इन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है। **विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता** का कहना है कि मौजा–कोराम्बे, थाना–गोला, वर्त्तमान थाना–बरलंगा, थाना नं०–49 के अन्तर्गत, खाता नं0–68, प्लॉट सं0–1785, कुल रकबा–0.45 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में रिदया महतो वगै० के नाम से दर्ज है, जो विपक्षी के परदादा है। इनका यह भी कहना है कि विपक्षी लगभग 10 वर्षों से प्रश्नगत भूमि से बेदखल है। इन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।	C.C. Issued 24/05/24

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) में उल्लेखित है कि "The Deputy Commissioner may, of his own motion or on an application filed before him by an occupancy-Raiyat, who is a member of the Scheduled Tribes, for annulling the transfer on the ground that the transfer was made in contravention of clause (a) of the second proviso to sub-section (1), hold and inquiry in the prescribed manner to determine if the transfer has been made in contravention of clause (a) of the second proviso to sub-section (1) :

Provided that no such application be entertained by the Deputy Commissioner unless it is filed by the occupancy-tenant within a period of twelve years from the date of transfer of his holding or any portion thereof :

Provided further that before passing any order under clause (b) or clause (C) of this sub-section, the Deputy Commissioner shall give the parties concerned a reasonable opportunity to be heard in the matter."

अंचल अधिकारी, गोला द्वारा निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ का न्यायालय) को प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि वाद में प्रश्नगत भूमि मौजा–कोराम्बे, थाना–गोला, वर्त्तमान थाना–बरलंगा, थाना नं०–49 के अन्तर्गत, खाता नं0–68, प्लॉट सं0–1785, कुल रकबा–0.45 एकड़ भूमि रिदय महतो वगै० के नाम से दर्ज है। मुण्डारी खुटकट्टीदार ठाकुर मृत्युंजय सिंह के आदेश से जनाबन्दी खुली है। द्वितीय पक्ष अर्थात देव नारायण साव, पिता–स्व० डोमन साव (इस अपील वाद के अपीलार्थी) का दखल कब्जा लगभग 20 वर्षो से है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–57 / 2007–08 / 44 / 2015–16 तुलसी बेदिया बनाम् देव नारायण साव में दिनांक–16.07.2016 को पारित आदेश में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4-A) के तहत् भू–वापसी अपील वाद के अपीलार्थी देव नारायण साव अर्थात निम्न न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद के विपक्षी को प्रश्नगत भूमि से उच्छेदित किया गया है।

अपीलार्थी एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा सरकारी अधिवक्ता का बहस सुना, समर्पित कागजातो, निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि –

1. प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है तथा सर्वे खतियान मे रिदय महतो वगैरह के नाम से दर्ज है, जो खुटकट्टीदार भूमि श्रेणी के अन्तर्गत आती है।

C.C. Issued 24/05/24

2. विपक्षी खतियानी रैयत के वंशज है, जबकि अपीलार्थी गैर आदिवासी है।

3. अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि वर्ष–1943 ई० में केवाला के माध्यम से प्राप्त करने का दावा करते है।

C.C. Issued 24/05/26

4. अंचल अधिकारी, गोला का पत्रांक–739, दिनांक–09.08.2011 द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि वाद में वर्णित प्रश्नगत भूमि मौजा–कोराम्बे, थाना–गोला, वर्त्तमान थाना–बरलंगा, थाना नं०–49 के अन्तर्गत, खाता नं0–68, प्लॉट सं0–1785, कुल रकबा–0.45 एकड़ भूमि, मध्ये रकबा–0.07 एकड़ भूमि दिनांक–13.04.1944 ई० को गुण्डारी खुटकट्टीदार ठाकुर मृत्युंजय सिंह द्वारा दाखिल–खारिज दर्ज है।

5. अंचल अधिकारी, गोला द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी अर्थात आदिवासी रैयत लगभग 20 वर्षों से प्रश्नगत भूमि से बेदखल है।

6. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4-A) के तहत् उच्छेदित भूमि से रयैत 12 वर्षों की अवधि के अंदर बेदखल है, तभी उक्त सुसंगत धारान्तर्गत भू–वापसी की कार्रवाई की जा सकती है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4-A) के तहत भू–वापसी की कार्रवाई पोषणीय नहीं है, क्योंकि भू–वापसी हेतु अपीलार्थी द्वारा आवेदन समय–सीमा के उपरान्त दायर किया गया है अर्थात भू–वापसी हेतु दायर आवेदन कालबाधित है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़) में दायर भू–वापसी वाद संख्या–57/2007–08/44/2015–16 तुलसी बेदिया बनाम् देव नारायण साव में दिनांक–16.07.2016 को पारित आदेश से सहमत होने का कोई तार्किक एवं वैध आधार नहीं बनता है। अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को Set-aside करते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख भेजे।

550/विविध 13/07/2021

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

[signature] 19/03/21

उपायुक्त,
रामगढ़।

[signature] 19/03/21

उपायुक्त,
रामगढ़

Scanned with OKEN Scanner

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–37 / 2016

देव नारायण साव बनाम तुलसी बेदिया एवं राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
26/05/25	अभिलेख उपस्थापित। भू–वापसी अपील वाद संख्या–37 / 2016 देव नारायण साव बनाम तुलसी बेदिया एवं राज्य में तत्कालिन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिनांक–19.03.2021 को आदेश पारित किया गया है। अपरिहार्य कारणों से उक्त वाद का अंतिम पारित आदेश राजस्व न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। दिनांक–11.03.2025 को राजस्व से संबंधित कार्यो की समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में वर्त्तमान पदस्थापित पीठासीन पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से उक्त वाद में पारित अंतिम आदेश की प्रति राजस्व न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई करें। Chandan 26/05/25 उपायुक्त, रामगढ़।	

Digitally signed by CHANDAN KUMAR
Date: 2025.05.28 13:45:06 +05:30
Location: 192.168.137.1

Scanned with OKEN Scanner